

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठसीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 64/2021 (रि.वि.)
पंजीयन दिनांक 02.03.2021
G.C.M.S. NO. :-2021/92

यूको बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय 10 वि. त्रै. म. सरणी, (ब्लेबोर्न रोड़) कोलकाता में स्थित कार्यरत है जिसका एक शाखा कार्यालय चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

मैसर्स आशवारा मार्केटिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी जरिये प्रोपराइटर श्री मुकेश सुहल्का निवासी सुहल्का सदन, नटवर सिंह स्कूल के सामने, भीलवाड़ा रोड़, चित्तौड़गढ़ राज.

-अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री राजेन्द्र सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 27.07.2021

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को कुल राशि रुपये 8,50,000/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किया गया। विपक्षी ने दिनांक 16.03.2021 को स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। उसके पश्चात् विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

बैंक के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक निगमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थी को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

श्री मुकेश सुहल्का की आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 2, आराजी नं. 600 का हिस्सा जो कि गांव बोदियाना, चित्तौड़गढ़ पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, बांवा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी माप कमशः 2152.71 वर्गफीट है। जिसका पट्टा नं. 2485/2013 नगर पालिका परिषद, चित्तौड़गढ़ के द्वारा दिनांक 22.08.2013 नं. 2013010478 में जारी किया गया। पतु सीमाएँ :-

पूर्व :- सड़क 30 फीट

पश्चिम :- प्लाट नं. 19

उत्तर :- प्लाट नं. 3

दक्षिण :- प्लाट नं. 1

उक्त सम्पत्ति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थी के जिम्मे दिनांक 30.06.2020 तक कुल राशि रुपये 9,87,521.00/- रुपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते हैं। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थी द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थी ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थी को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्वोरिटीजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(तारा चन्द मीणा)

क्लर्क एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़